

प्रकरण सं. 05/18
1.5.18

136

प्रपत्र-6

Amr

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

कोटन

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जौमरख धाम की जमाबन्दी

संवत् 2023-26 खाता संख्या 57 में ख. नं. 7, 8

साथ जौमरख धाम के खाता नं. 57 के ख. नं. 7, 8 में
अर्जन Sl.0 माला नाथ इन्द्राज है जो गलत है।

वास्तव में मदनपारा Sl.0 मालाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड
में अमल इन्द्राज / कुरावे / काद्या / कडि, मतडागा परिचय
पत्र व राखाना के नाम मदनपारा Sl.0 माला है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पहचान करती

गार्थी

दिनांक : 11/5/18 दु गं पता

मदनपारा
9982060168


12/5-18

9982060168

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी मदनपाराम शि० मालाराम के मौजा गोमरखधाम के खाता नं. 57 अर्जावकी संख्या 2073-76 में नाम अर्जन शि० माला ~~अर्जावकी~~ जो गलत है।

प्रार्थी का उक्त अर्जावकी, मरदाना परिचय पत्र व राशनकार्ड के अर्जावकी पर मदनपाराम शि० मालाराम नाम मिला है। अर्जावकी संख्या 2073-76 में नाम दिया जाना उचित है।

दुर्गा
पता

h-m
01-05-18
14/12/21

जी.एम.
01/12/21
14/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार



प्राचीन रूप रिपोर्ट, 66 वाके अर्जावकी (66 वाके अर्जावकी)

व अर्जावकी द्वारा ही-जई जानवादी के अर्जावकी

नाम सुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

मदनपाराम

01/12/21
तहसीलदार

आदेश

उक्त रिपोर्ट, उक्त अर्जावकी व पटवारी द्वारा मदनपाराम शि० मालाराम के अर्जावकी रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रेषित अर्जावकी पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अर्जावकी पर प्रार्थी का अर्जावकी पत्र खींचकर का प्रार्थी का नाम अर्जन शि० माला के अर्जावकी पर सुद्ध नाम मदनपाराम शि० मालाराम सुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार-उक्त रिपोर्ट को राजस्व वेकड में कमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फिल सुधार होकर अर्जावकी दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
ब्रौहटन

